



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2010/चैत्र 16, 1932

No. 172]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2010/CHAITRA 16, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2010

सा.का.नि. 287(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में योधक अनुसचिवीय और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, योधक अनुसचिवीय काडर और योधक आशुलिपिक काडर समूह 'ख' पद और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सा दृष्टया योग्यता.—इन नियमों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए, केवल वे व्यक्ति जो भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1, में है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन प्रोन्नति और नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
-----------	----------------	----------	----------------------------------	------------------------	--	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निरीक्षक (योधक अनु-सचिवीय)	122* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति द्वारा :

ऐसे उप-निरीक्षकों (योधक अनुसचिवीय) में से, जिन्होंने नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और विभाग द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो।

टिप्पण.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक

(12)

से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र

- | | |
|--|----------|
| 1. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | —अध्यक्ष |
| 2. उप-महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |
| 3. उप-सेनानी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |

से छूट प्राप्त।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उप-निरीक्षक (योधक अनु-सचिवीय)	240* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)।	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति द्वारा :

ऐसे सहायक उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो अथवा सहायक उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) और हैड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय) की श्रेणी में दस वर्ष सांमिलित नियमित सेवा की हो, सहायक उप-निरीक्षक (योधक अनुसचिवीय) की श्रेणी में न्यूनतम एक वर्ष सेवा की हो, और विभाग द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो।

टिप्पण.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ

(12)

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त।

1. उप-महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष
2. उप-सेनानी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य
3. सहायक सेनानी (कार्यालय), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. सहायक उप-निरीक्षक (योधक अनु-सचिवीय)	42* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)।	वेतन बैंड-1, 5200- 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति द्वारा :

भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हेड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो।

टिप्पण.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र
1. उप-महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	—अध्यक्ष से छूट प्राप्त ।
2. उप-सेनानी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	—सदस्य
3. सहायक सेनानी (कार्यालय), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. निरीक्षक (आशु-लिपिक)	34* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अनुसूचित्वीय) ।	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
(8)	(9)		(10)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता			

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन द्वारा ।	<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>ऐसे उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो, और विभाग द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों में अर्हता प्राप्त की हो ।</p> <p>टिप्पण.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्रीय/राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारिवृंद जिन्होंने उस श्रेणी में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो ।</p> <p>टिप्पण 1.—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को बावन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p> <p>टिप्पण 2.—पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।</p>

(12)

पुनर्नियोजन द्वारा :

सशस्त्र बल अर्थात् थल सेना/जल सेना/वायु सेना में सदृश पद धारण करने वाले ऐसे कार्मिक, जिन्होंने उस पंक्ति में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव है, दो वर्ष से अनधिक अवधि की सेवा भंग न हो।

टिप्पण.—सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(13)

(14)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र

- | | |
|--|----------|
| 1. महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | —अध्यक्ष |
| 2. उप-महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |
| 3. उप-सेनानी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |

से छूट प्राप्त।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. उप-निरीक्षक (आशु-लिपिक)	30* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)।	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)

(9)

(10)

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति द्वारा :

ऐसे सहायक उप-निरीक्षक (आशुलिपिक) में से, जिसने उस श्रेणी में छह वर्ष नियमित सेवा की हो, और विभाग द्वारा विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के अनुसार अर्हता रखता हो।

टिप्पण.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श के कार्यक्षेत्र से छूट प्राप्त ।
1. उप-महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	—अध्यक्ष
2. उप-सेनानी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	—सदस्य
3. सहायक सेनानी (स्टाफ आफिसर) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	—सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. हेड कांस्टेबल (योधक अनुसचिवीय)	721* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पांच वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए तीन वर्ष द्वारा शिथिल की जा सकती है । विभागीय अभ्यर्थी जिनकी तीन वर्ष की लगातार सेवा हो, के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष द्वारा शिथिल की जा सकती है, जो खुली भर्ती से अभ्यर्थियों के साथ पूरी करता हो । सीमित विभागीय परीक्षा के लिए 30% कोटा के अधीन विभागीय कांस्टेबल और समूह 'ग' सहयोगी (योधक) पर लागू ऊपरी आयु सीमा में 35 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा । ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा की है और समूह 'ग' सहयोगी (योधक) जिन्होंने पांच वर्ष सेवा की हो, पात्र होंगे ।
						टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न

(7)

कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)

(9)

(10)

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट या समतुल्य।

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(2) टंकन गति अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट।

टिप्पण: उच्चतर अर्हता प्राप्त और कम्प्यूटर में आधारीय प्रचालन का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी।

(11)

(12)

विभागीय परीक्षा के माध्यम से 70% रिक्तियां सीधे भर्ती द्वारा और 30% रिक्तियां कांस्टेबल और समूह 'ग' सहयोगियों (योधक) पुनः भर्ती द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

रि-मस्टरेशन द्वारा: साधारण ड्यूटी काडर और अन्य काडरों के ऐसे कांस्टेबल में से, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो और ऐसे समूह 'ग' सहयोगी (योधक) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हों, स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं रखते हों, में से चयन किया जाएगा।

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि के संबंध में जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता।

1. उप महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष
2. उप सेनानी या ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य
3. सहायक सेनानी (कार्यालय), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य

[फा.सं. 1-12013/5/2007-संग]

एस. सी. शिवाजी राव, उप सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2010

G.S.R. 287(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Combatant Ministerial and Combatant Stenographer Cadre Group-'B' posts and Group-'C' posts in the Indo-Tibetan Border Police Force, under the Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Combatant Ministerial Cadre and Combatant Stenographer Cadre Group-'B' and Group-'C' posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.—The number of the said posts, their classification and pay band and grade pay/scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are fit in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Manual Volume -III, Medical Manual, shall be eligible for promotion and appointment under the provisions of these rules.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Inspector (Combatant Ministerial).	122* (2010) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2 Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600	Selection	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any				
(8)	(9)	(10)				
Not applicable	Not applicable	Not applicable				
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods						
(11)	(12)					
By promotion	By Promotion : From amongst Sub-Inspectors (Combatant Ministerial) having five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis and have qualified pre-promotion Course/Courses prescribed by the department. Note :— Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.					
If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment				
(13)		(14)				
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Force —Chairman 2. Dy. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member		Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Sub-Inspector (Combatant Ministerial).	240*(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	PB-2 (Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200).	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)		(10)			
Not applicable	Not applicable		Two years			

(11)	(12)
By promotion	<p>By Promotion : From amongst Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) having six years regular service in the grade or ten years combined regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) and Head Constable (Combatant Ministerial) with minimum one year regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial) and have qualified pre-promotion Course/Courses prescribed by the department.</p> <p>Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(13)	(14)
<p>Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dy. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Assistant Commandant (Office), Indo-Tibetan Border Police Force —Member 	Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Assistant Sub-Inspector (Combatant Ministerial).	42* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Ministerial).	PB-I (Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2800)	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)		(10)			
Not applicable	Not applicable		Not applicable			

(11)	(12)
By promotion	<p>By Promotion : From amongst Head Constable (Combatant Ministerial) of Indo-Tibetan Border Police having five years regular service in the grade and have qualified pre-promotion Course/Courses prescribed by the department.</p> <p>Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—	Not applicable.
1. Dy. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman	
2. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member	
3. Assistant Commandant (Office), Indo-Tibetan Border Police Force —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Inspector (Stenographer)	34* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted (Ministerial).	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4600).	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)		(10)			
Not applicable	Not applicable		Not applicable			

(11)	(12)
By promotion failing which by deputation or re-employment.	<p>By Promotion : From amongst Sub-Inspector (Stenographer) who have rendered five years regular service in the grade and have qualified pre-promotion Course/ Courses prescribed by the department.</p> <p>Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>By Deputation : Officials of the Central/State Government Department holding analogous post on regular basis in the grade.</p> <p>Note 1 : (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-two years as on the closing date of receipt of application.)</p> <p>Note 2 : (The departmental officers in the feeder categories who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment on promotion.)</p> <p>By re-employment : Officials holding analogous post in the Armed Forces viz. Army/Navy/Air Force having minimum five years experience in the line, having break in service not more than two years.</p>

(12)

Note : The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having requisite experience and qualifications prescribed if any, shall also be considered. Such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due to release from Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment. The maximum age limit for eligibility for re-employment shall be not exceeding fifty-two years on the date of receipt of application.

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:—

1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman
2. Dy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Member
3. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member

Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Sub-Inspector (Stenographer)	30* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Ministerial).	Pay Band-2 (Rs. 9300-34800 plus Grade Pay Rs. 4200).	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)	(9)		(10)			
Not applicable	Not applicable		Two years			

(11)

(12)

By promotion

By Promotion :

From amongst the Assistant Sub-Inspector (Stenographer) who have rendered six years regular service in the grade and have qualified pre-promotion Course/Courses prescribed by the department.

Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(13)

(14)

Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:—

1. Dy. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman
2. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member
3. Assistant Commandant (Staff Officer), Indo-Tibetan Border Police Force —Member

Exempted from the purview of the Union Public Service Commission consultation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Head Constable (Combatant to variation Ministerial).	721* (2010) *Subject dependent on workload.	General Central Service, (Group 'C'), Non-Gazetted, (Ministerial).	Pay Band-1 Rs. 5,200—20,200 + Grade Pay Rs. 2400.	Not applicable	Not applicable	Between 18 to 25 years. (Relaxable by five years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and by three years for Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. The upper age limit relaxable by five years for departmental candidates with three years continuous service, who compete alongwith candidates from open recruitment. The upper age limit shall be relaxable upto 35 years (40 years for Scheduled Castes/Scheduled Tribes) for departmental Constables and Group "C" Followers (Combatised) applying under 30% quota for limited departmental examination. Constable with three years and Group "C" Followers (combatised) with five years service shall be eligible.
						<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul</p>

(7)

and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or Union Territory of the Lakshadweep).

(8)

(9)

(10)

1. Senior Secondary Certificate from a recognised Board or equivalent.
 2. Typing speed 30 words per minute in English or 25 words in Hindi.
- Note :** Preference will be given to candidates possessing higher qualifications and having knowledge of basic operation of computer.

Not applicable

Two years

(11)

(12)

70 % vacancies by director recruitment and 30% vacancies by re-mustration of Constables and Group "C" Followers (combatised) through departmental examination failing which by direct recruitment.

By re-musteration

By selection from amongst Constables for General Duty Cadre and other Cadres with three years regular service in the grade and Group 'C' Followers (Combatised) with five years regular service in the grade, possessing education and other qualifications as prescribed for direct recruitment under Column (8).

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—

Not applicable.

1. Dy. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman
2. Deputy Commandant or Senior Administrative Officer, Indo-Tibetan Border Police Force —Member
3. Assistant Commandant (Office), Indo-Tibetan Border Police Force —Member

[F. No. ITBP. 1-12013/5/2007-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.